झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

—:: अधिसूचना ::—

राँची, दिनांक—.....

संख्या—15 / सा०अव०—03—02 / 2018 का॰ — / मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, राँची के पत्रांक—1182 दिनांक 14.05.2018 के आलोक में 34—गोमिया एवं 61—सिल्ली विधानसभा उप चुनाव, 2018 के अवसर पर संबंधित विधान सभा क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों / औद्योगिक प्रतिष्ठानों / सार्वजनिक बैंकों में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा—25 के अन्तर्गत मतदान की निर्धारित तिथि दिनांक—28.05.2018 (सोमवार) को स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह० / —
(ओम प्रकाश साह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—15 / सा०अव०—03—02 / 2018 का॰— 3447 **/राँची, दिनांक—** 23.5.18

प्रतिलिपि— नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई—गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

23/05/18

सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

—:: अधिसूचना ::—

राँची, दिनांक– 23.5.18

संख्या–15 / सा०अव०–03–02 / 2018 का०–3448/ झारखण्ड राज्य में 34–गोमिया एवं 61–सिल्ली विधानसभा उप निर्वाचन, 2018 के मतदान की तिथि दिनांक–28.05.2018 (सोमवार) को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–135(ख) के निम्नांकित प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है:–

1. किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।
2. उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर ना किये जाने की दशा में दी गयी होती।
3. यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधो का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
4. यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकती है।

सभी संबंधित प्राधिकारों को निदेश दिया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

22/05/18

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15 / सा०अव०–03–02 / 2018 का०–3448 /राँची, दिनांक– 23.5.18

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

22/05/18

सरकार के उप सचिव